# न्यायालय प्रथम अपील प्राधिकारी एवं जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

(अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005)

**श्री शिवलाल वैष्णव पिता भगवान दास निवासी धनवाडा पोस्ट पारोली तहसील कोटडी, जिला भीलवाडा।**

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी कोटडी, जिला भीलवाडा।

प्रकरण संख्या :– 118/2025

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 01.10.2025 | –: निर्णय :–<br><br>1. पत्रावली आज पेश हुई। उभयपक्ष अनुपस्थित।<br><br>2. अपीलार्थी ने आवेदन–पत्र दिनांक 30.07.2025 को लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रशासन भीलवाडा प्रस्तुत किया गया। आवेदक द्वारा चाही गयी सूचना लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी कोटडी से संबंधित होने पर लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) भीलवाडा द्वारा दिनांक 31.07.2025 को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के तहत अन्तरित किया गया। प्रत्यर्थी के द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं करवाये जाने के कारण अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर, प्रत्यर्थी से सूचना दिलाये जाने का निवेदन किया है। प्रकरण दर्ज कर उभयपक्षकारान की तलबी हेतू नोटिस जारी किये गये।<br><br>3. लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी कोटडी से प्राप्त सूचना अनुसार लोक सूचना अधिकारी द्वारा जरिये पत्रांक 218 दिनांक 29.09.2025 से अवगत कराया गया कि अपीलार्थी द्वारा चाही गयी वांछित सूचना/जवाब अपीलार्थी को प्रेषित किया गया। जिसकी प्रतिलिपि उक्त अपील पत्रावली के अभिलेख पर मौजूद है।<br><br>अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार हो कर नम्बर से कम हो।<br>निर्णय आज दिनांक 01–10–2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।<br><br>**(जसमीत सिहं संधू)**<br>प्रथम अपीलीय अधिकारी<br>लोक सूचना एवं जिला कलक्टर, भीलवाड़ा | |

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट भीलवाड़ा (राज.)